आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– आपूर्ति अपील वाद सं0 $\frac{04/11-12}{02/13}$ श्यामदेव साह बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असमाजिक तत्वों द्वारा अगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में अधिवक्ता के माध्यम् से श्री श्यामदेव साह, पे0–स्व0 चूनू साह, ग्राम धर्मचक, थाना मानसी, जिला–खगड़िया द्वारा पूरक अपील दाखिल किया गया। प्रस्तुत आपूर्त्ति अपील वाद सं0 $\frac{04/11-12}{02/13}$ श्री श्यामदेव साह, पे0–स्व0 चूनू साह, ग्राम धर्मचक, थाना मानसी, जिला–खगड़िया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 09 मु0/अनु0आ0, दिनांक 21.03.2011 से विछुब्ध होकर दाखिल किया गया है। दाखिल अपील में अपीलार्थी द्वारा कहा गया है कि श्री जनक लाल सिंह एवं अन्य ग्रामीण धरमचक पश्चिमी ठाठा द्वारा जनता दरबार में दिये गये आवेदन पत्र की जांच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 11.03.2011 की गयी तथा प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 193/अनु0आ0,दिनांक 15.03.2011 द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। स्पष्टीकरण में अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि अक्टूबर 2010 में किरासन तेल एवं दिसम्बर 2010 में बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को खाद्यान्न नहीं दिया जाना सही नहीं है। जिसे कुछ उपभोक्ता उनसे व्यक्तिगत द्वेष रखते थे वे जानबुझकर समान नहीं लेने आते थे और उनके विरूद्ध शिकायत किया करते थे। आम उपभोक्ताओं को उनसे कोई शिकायत नहीं रही है। उनका यह भी कहना है कि निर्धारित राशि से अधिक पैसा लेने तथा निर्धारित वजन से एव किलो खाद्यान्न कम देने की बात सही नहीं है। उनके द्वारा निर्धारित वजन एवं उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न एवं किरासन तेल दिया जाता है। उनका यह भी कथन है कि भंडार पंजी पत्नी ने रखा था और उस वक्त पत्नी संयोगवस घर में नहीं थी, जिस कारण जांच पदाधिकारी को भंडार पंजी नहीं दिखाया जा सका। उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा पर बिना विचार किये अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0 36 एम/2007 को रद्द कर दिया गया जो कानून एवं न्याय संगत नहीं है। उनके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 09 मु0/अनु0आपूर्ति, दिनांक 21.03.2011 को निरस्त करते हुए आवंटन चालू करने का अनुरोध	

विशेष लोक अभियोजक ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है तथा इस अपील वाद को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध जनता दरबार में दिये गये आवेदन की जांच जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 11.03.2011 को की गयी तथा ज्ञापांक 297 दिनांक 12.03.2011 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि उपभोक्ताओं द्वारा दिये गये ब्यान के आलोक में पाया गया कि अक्टूबर 2010 में किरासन तेल का वितरण नहीं किया गया है तथा दिसम्बर 2010 में बी0पी0एल0 खाद्यान्न भी नहीं दिया गया है तथा बिक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को वजन में एक किलो खाद्यान्न कम दिया जाता है तथा अधिक राशि लिया जाता है एवं निरीक्षी पदाधिकारी को जांच के क्रम में पंजी नहीं दिखाया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के द्वारा सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली आदेश 2001 की कंडिका–7(1) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका 196/2001 के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की गयी। जन वितरण प्रणाली बिक्रेता से ज्ञापांक 195, दिनांक 15.03.2011 से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। बिक्रेता द्वारा दिनांक 19.03.2011 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो असंतोषप्रद पाया गया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के अनुशंसा के आलोक में श्री श्यामदेव साह, पे0–स्व0 नूनू साह, ग्राम धर्मचक, थाना मानसी, जिला–खगड़िया जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पश्चिमी ठाठा मानसी प्रखंड के अनुज्ञप्ति सं0 36 एम/2007 को बिहार सार्वजनिक वितरण नियंत्रण आदेश 2001 के कंडिका 7 (1) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका 196/2001 के आलोक में रद्द किया गया।

अपीलार्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे है। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय दिया गया। परंतु उनकी लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वाद में और कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं करना है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता श्री श्यामदेव साह द्वारा बरती गयी अनियमितता बिहार सार्वजनिक वितरण नियंत्रण आदेश 2001 के कंडिका 7 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के आदेश ज्ञापांक 09 मु0/अनु0आ0, दिनांक 21.03.2011 को यथावत रखा जाता है तथा अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
खगड़िया

समाहर्ता
खगड़िया

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित 3.

डी0 बी0 नं0 46 / विधि, दिनांक 23/8/2017

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

23/8/2017

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, खगड़िया।

23/8/17

(2)